

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 91/2018

बउनवान

बद्री लाल पुत्र श्री केसरी लाल आयु 58 साल जाति मीणा, निवासी बामला, तहसील बारां, जिला बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. मदन मोहन नागर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार


(अपीलांट)


(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 27.07.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बामला तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 180/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।  ख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।


जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 28.01.2021 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांत निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांत आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।


दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 541/13 निर्णय दिनांक 22.04.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांत पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म-चारागाह ग्राम बामला पर सम्वत् 2069 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 541/13 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विवादित आराजी पर पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारा द्वारा प्रकरण संख्या 642/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारा
बारा (राज०)